3

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स तिरूपति पेट्रो मार्ट, प्रो0—श्रीमति रीता देवी, महथु जम्होर, औरंगाबाद द्वारा भोजपुर सोन—18 बालू घाट, मौजा—खंडोल, अंचल—संदेश, जिला—भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 24.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय, संदेश, जिला—भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0—एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2341/2023, के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 24.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय संदेश, जिला—भोजपुर में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 21.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल—कण की रोक—थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू—जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (790 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत: है:—

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री रंजन कुमार, ग्राम—खण्डौल, जिला—भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् वृक्षारोपण करना है, लेकिन अभी तक वृक्षारोपण नहीं किया गया है। अगर वृक्षारोपण होता है तो उसका रख—रखाव कौन करेगें। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जो पहले खनन जिस परियोजन के तहत् होती थी। उन्हें तीन महीने खनन करने का लाईसेंस दिया जाता था, जिस कारण वे लोग वृक्षारोपण का कार्य नहीं किये थे। यह परियोजना नया है, इसमें पट्टा धारक को 05 साल तक खनन करने का लाईसेंस दिया जाएगा। इसलिए ये लोग 05 सालों में वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, और इनका रख—रखाव पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना में कम—से—कम 790 पेड़ लगाना प्रस्तावित है। पेड़ रोड के किनारे, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। 02 स्थानीय माली इनका रख—रखाव करेंगे।
2.	श्री सिंटु कुमार, ग्राम—खण्डौल, जिला—भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् क्या रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा इस परियोजना से 64 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को योग्यता अनुसार

		रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
3.	श्री राकेश कुमार, ग्राम–खण्डौल, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर नहीं ले जाया जाता है, ओभर लोडिंग किया जाता है। जिसके कारण बालू सड़क पर गिर जाता है, और बहुत धूल–कण उड़ता है। पर्यावरणी सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना नया है इस परियोजना के दौरान सारे उपाय का अनुपालन नियमानुसार किया जायेगा।
4.	श्री हरिवंश कुमार, ग्राम–खंडौल, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान पानी छिड़काव बालू घाट से लेकर मुख्य सड़क तक किया जाता है, लेकिन बाईपास सड़क पर काफी धूल–कण उड़ता है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि अगर यहाँ रोजगार मिलता है तो किस–किस कार्य के लिए मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के दौरान बालू से लदा गाड़ी को तिरपाल से ढककर ले जायेगा। ओभर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा, जो कम्प्यूटर चलाना जानते है उनको चलान काटने का काम दिया जायेगा, जो गाड़ी पोकलेन मशीन चलाना जानते है, उनको पोकलेन के चालक का काम, छोटी गाड़ी का चालक, माली, गार्ड इत्यादि का काम दिया जायेगा इत्यादि। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत् पुराने वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। उनका Fitness certificate देखकर ही विभाग द्वारा निबंधित किया जायेगा। निबंधित वाहन

		के लिए ही चलान काटा जा सकेगा। घाट पर धर्मकांटा रखा जायेगा, जिससे ओभर–लोडिंग नहीं होगा।
5.	श्री मनीष कुमार, ग्राम–खंडौल, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान आपस में दो गाँव लड़ जाते है। जिससे घाट बंद हो जाता है। इससे संवेदक को नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसकी भरपाई कौन करेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Law & Order का Issue होगा तो संबंधित थाना एवं जिला प्रशासन से मदद दी जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स तिरूपति पेट्रो मार्ट, प्रो0–श्रीमति रीता देवी द्वारा भोजपुर सोन–18 बालू घाट, मौजा–खंडोल, अंचल–संदेश, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, संदेश दिनांक 24.08.2023 समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सत्य प्रकाश	समाहरणालय, भोजपुर	[signature] 24/8/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 24-8-23
3.	संजय कु० कुशवाहा	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर	[signature] 24/08/2023
4.	श्यामानन्द ठाकुर	खान निरीक्षक भोजपुर	[signature] 24/8/23
5.	राजेश कुमार विश्वास	P&M Solution Noida. U.P.	Rajesh
6.	रमेश कुमार	खन्डौल	Ramesh
7.	आलोक कुमार	नागरसागर	[signature]
8.	अशोक सिंह	पवना	[signature]
9.	[illegible]	पवना	[signature]
10	केशव यादव	पवना	केशव यादव
11	मंटु कुमार	आजिमाबाद	Mantu Kr
12	अलख नारायण	खंडौल	Alakh
13	सुदेश्वर यादव	खण्डौल	[signature]
14	अरुण सिंह	अरवगांव	[signature]
15	रवि कु० सिंह	नागरसागर	Ravi kr. Singh

16	मंगल सिंह	खण्डोल	[illegible]
17	मनजीत सिंह	[illegible]	Manjeet S...
18	निर्मल सिंह	खण्डोल	[illegible]
19	मनोहर कुमार	[illegible]	[illegible]
20	Suray Singh	Khandol	[illegible]
21	अमित सिंह	खण्डोल	[illegible]
22	रंजन कुमार	खण्डोल	रंजन कुमार
23	जितेन्द्र कुमार	फुलाड़ी	jitender
24	चन्दन कुमार	[illegible]	Chan Ku...
25	~~[illegible]~~ कुमार	फुलाड़ी	vicki Kumar
26	सुनील कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
27	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
28	बालक नाथ	खण्डोल	[illegible]
29	Rakesh K L	खण्डोल	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	श्री [illegible]	[illegible] खण्डोल	[illegible]
32	मनीष कुमार	खण्डोल	Manish Kum...
33	राम [illegible]	खण्डोल	[illegible]
34	हरवंश कुमार	[illegible]	[illegible]